

वेस्ता

बनाम

श्रीधराम

न

2/44/18

सन्

हुक्म या कार्यवाही मयईनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस हुक्म  
की तामील में जारी हुए

25/4/18

आज यह प्रार्थना पत्र वकील प्रार्थी ने मूलवाद के साथ पेश किया है। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, शपथ पत्र एवं बहस एकपक्षीय वकील प्रार्थीगण पर गौर करने से प्रथम दृष्टया में केस व सुविधा का सन्तुलन एवं नापूर्ति होने वाली क्षति प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होती है। अतः अप्रार्थीगण को आगामी तिथि 08.06.2018 तक जर्ये एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वो विवादित आराजी ख0 नं0 597 रकबा 0.29, 598 रकबा 0.29, 599 रकबा 0.05, 665 रकबा 0.12, 666 रकबा 0.11 हैक्ट0 का 1/2 भाग वाके ग्राम मेवखेडा तहसील रामगढ़ जिला अलवर में किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही करे, राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 हो अप्रार्थीगण को जर्ये रजि0 ए0डी0 तलबी से तलब कर दिनांक 08.06.2018 को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी  
रामगढ़ (अलवर)

8.6.18

यथावधि न्याय बापके उर शिफार  
गो ए0 खेडी में पेश हुइ उधर  
पक्षीय बहस को आवाज दिखल गइ।  
कोई सुपरिधान नही। मूलवाद को  
पुरिवादी को पक्षेवकर निर्णय कर  
दिया गया है। प्रार्थना पत्र  
रजि 212 सुपरिधान दिशो जारी है।  
यथावधि निर्णय सुकर होकर  
शिफार उपर हो।

हुक्म या कार्यवाही मयईनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस हुक्म  
की तामील में जारी हुए

25/4/18

आज यह प्रार्थना पत्र वकील प्रार्थी ने मूलवाद के साथ पेश किया है। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, शपथ पत्र एवं बहस एकपक्षीय वकील प्रार्थीगण पर गौर करने से प्रथम दृष्टया में केस व सुविधा का सन्तुलन एवं नापूर्ति होने वाली क्षति प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होती है। अतः अप्रार्थीगण को आगामी तिथि 08.06.2018 तक जर्ये एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वो विवादित आराजी ख0 नं0 597 रकबा 0.29, 598 रकबा 0.29, 599 रकबा 0.05, 665 रकबा 0.12, 666 रकबा 0.11 हैक्ट0 का 1/2 भाग वाके ग्राम मेवखेडा तहसील रामगढ जिला अलवर में किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही करे, राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 हो अप्रार्थीगण को जर्ये रजि0 ए0डी0 तलबी से तलब कर दिनांक 08.06.2018 को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी  
रामगढ (अलवर)

8.6.18 :-

कार्यवाही न्याय न्यायके उर शिवराम  
जात एव खेडी में पेश हुइ उधर  
पक्षकाराने को न्याय दिखल गइ।  
कोई नुसखिना नही। मुक्याड को  
पुरिवादी को पक्षेवकर निशाय कर  
दिया गया है। मु प्रार्थी को पेश  
रिजि 212 खरिज दिश जाल है।  
कार्यवाही निजि सुकर हो  
शिवराम अलवर है।

20.0  
(Ramesh)



तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मयईनिशियल्स जज	नम्बर व जो इस हुक में
---------------	----------------------------------	-----------------------------

19-9-17 ✓  
वादी के वकील/वकूलाय उपस्थित/मीडियन अधिकारी  
.....पेश किया  
नकल दिलाई गई। वास्ते.....पत्रावली  
दिनांक.....21-11-17.....को पेश हो।

21/11/17 ✓  
वादी के वकील/वकूलाय उपस्थित/मीडियन अधिकारी  
.....पेश किया  
नकल दिलाई गई। वास्ते.....पत्रावली  
दिनांक.....20/11/18.....को पेश हो।

30/1/18 ✓  
वादी के वकील/वकूलाय उपस्थित/मीडियन अधिकारी  
.....पेश किया  
नकल दिलाई गई। वास्ते.....पत्रावली  
दिनांक.....24/4/18.....को पेश हो।

B.C.18:-

कमली/मजरा  
2/5/2015

आपके डायरी नंबर 18 का प्रथम  
पक्ष पक्षकारण  
के पेश हुए। उक्त पक्षकारण  
अनुसार सुधरावे का निर्धारण हो  
रहा है। प्रथम पक्ष  
द्वारा पेश किए गए प्रमाणों पर  
विचार करके उक्त पक्षकारण  
विषय सुधार के लिए उचित  
कार्रवाई करने पर विचार  
करा जायेगा।

तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मयईनिशियल्स जज

11-9-17

वादी के वकील/वकूलाय/उपरिथत/नीतिवादी अधिकारी

..... पेश किया

नकल दिलाई गई। वास्ते मूलकास..... पत्रावली

दिनांक..... 21-11-17..... को पेश हो।

21/11/17

वादी के वकील/वकूलाय/उपरिथत/नीतिवादी अधिकारी

..... पेश किया

नकल दिलाई गई। वास्ते मूलकास..... पत्रावली

दिनांक..... 20/11/18..... को पेश हो।

30/1/18

वादी के वकील/वकूलाय उपरिथत/नीतिवादी अधिकारी

..... पेश किया

नकल दिलाई गई। वास्ते मूलकास..... पत्रावली

दिनांक..... 24/4/18..... को पेश हो।

8.6.18: -

कमली मिश्रा  
2/5/2015

आपके डूर एंड एंड  
पेश हुआ। उभय पक्षों के  
अनुभवों का निराकरण हो  
सुझा है। प्रथम बार 21.2.  
अगरिज किया जाना है। पत्रावली  
निर्णय सुधार होकर अखिर दफ्त  
है।  
S.D. J.  
(K.M.G.)